न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 265/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती ककूडी पत्नि उकाराम उर्फ अखाराम 2. जितेन्द्र पुत्र उकाराम उर्फ अखाराम 3. मनीष पुत्र उकाराम उर्फ अखाराम जातियान–मेघवाल निवासी–नई बस्ती पाल, जोधपुर।		1. श्रीमती हरकू पत्नि अखाराम 2. जोधाराम पुत्र अखाराम 3. केराराम पुत्र अखाराम 4. पूराराम पुत्र अखाराम 5. सीमा पुत्री अखाराम 6. चिन्टू पुत्री अखाराम जातियान–मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, भंवराणी, तहसील आहोर जिला जालोर। 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.07.2021 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2020 अवान जोधाराम बनाम ककूडी में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री रामेश्वर दवे, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से उपस्थित।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 19/2020 अनवान जोधाराम बनाम ककूडी वगैराह प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम केरू के ख0सं0 812/43, 812/44, 812/10, 812/33, 812/70 व 812/32 की भूमि अखाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल के नाम से संयुक्त खातेदारी की भूमि है। श्री अखाराम का देहान्त हो चुका है। अतः राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार उनका नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी ककूडी वगैराह को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 16.07.2021 को ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थीया के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के पति एवं पिता की खातेदारी की भूमि ग्राम केरू के ख0सं0 812/43, 812/44, 812/10, 812/33, 812/70 व 812/32 में आई हुई है। अपीलान्ट के पति उकाराम उर्फ अखाराम पुत्र छोगाराम मेघवाल का देहान्त दिनांक 26.11.2019 को हो गया। उसके पश्चात अपीलान्टस उनके खातेदारी की कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज हुए तथा आज दिन तक काबिज है। अपीलान्टस की ओर से राजस्व कर्मचारियों को विरासत का नामा0 दर्ज करने हेतु अनुरोध किया परन्तु नामा0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

दर्ज नहीं किया गया। जिस पर उनकी ओर से एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर को पेश किया, तत्समय ही एक अजनबी जोधाराम रेस्पो0 संख्या 2 ने अपने आपको उकाराम उर्फ अखाराम का वारिस बताते हुए उपरोक्त भूमि के नामा0 हेतु गलत रूप से एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने अपीलान्टस को भी नोटिस जारी किया गया, तब अपीलान्टस की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु समय चाहा परन्तु प्रकरण में आगामी पेशी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी दौरान अप्रेल माह में कोरोना के प्रभाव व लॉकडाउन की वजह से अपीलान्टस तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रख सकी। तहसीलदार जोधपुर ने अपीलान्टस को सुने बिना ही व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 16.7.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो अपीलार्थीया के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से होने निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पति एवं पिता अखाराम के खातेदारी की कृषि भूमि में विरासत के तौर पर अपीलान्ट काबिज है तथा आज दिन तक अपीलान्टस का कब्जा है। श्री अखाराम के देहान्त दिनांक 26.11.19 को हो गया जिस बाबत ग्राम पंचायत पाल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इसके विपरित तथाकथित रेस्पोडेन्टस अपने आपको अखाराम का वारिस बताते है जो ग्राम भंवरानी के निवासी अभिकथित करते है तथा कथित व्यक्ति अखाराम की मृत्यु दिनांक 18.01.16 को ग्राम भंवरानी में होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया यह तथ्य उजागर हो गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम पाल के अखाराम के नाम की व्यक्ति की है तो किसी भी रूप में रेस्पो0 के नाम से उपरोक्त भूमि दर्ज नहीं की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दूसरा अखराम खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये है। उनके दस्तावेज में गवाह लाडलेस व्यास नामक व्यक्ति को ही पॉवर ऑफ एटार्नी देकर नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विवादास्पद विरासत के प्रकरणों को सिविल न्यायालय के द्वारा ही नियमानुसार निस्तारित किया जा सकता है। तहसीलदार किसी मृतक खातेदार के वारिसान/उत्तराधिकार की जॉच कर निर्णय नहीं दे सकते है जैसा कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के द्वारा आलौच्य प्रकरणं में रेस्पोडेन्टस के पक्ष आदेश पारित कर दिया गया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे दोनों पक्षों को सुनकर नामा0 की कार्यवाही करते परन्तु अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया और न ही विवादग्रस्त बिन्दू पर समुचित जॉच की ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हुई जॉच अपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 4.8.2021 को हुई तब उनके द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की है। अतः अपीलान्ट की अपील ...

आधारों पर अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट जोधाराम पुत्र अखाराम की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता अखाराम पुत्र छोगाराम के देहान्त 18.1.2016 को हो जाने पर उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम केरू के ख0सं0 812/43, 812/44, 812/10, 812/33, 812/70 व 812/32 में होने तथा उनके नाम दर्ज भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण अपनी माता श्रीमती हरकूदेवी तथा दो भाई केवाराम व पूराराम एवं दो बहने सीमा पुत्री अखाराम व चिन्टू पुत्री अखाराम का नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। इसी दौरान दिनांक 15.1.2021 को एक प्रार्थना पत्र ककूडी पत्नि उकाराम उर्फ अखाराम निवासी–पाल ने पेश कर अखाराम की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने का कथन किया। पटवारी हल्का के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि वादग्रस्त भूमि अखाराम पिता छोगाराम के नाम से अलग–अलग खातों में दर्ज है। प्रार्थीया ककूडी/मनीष की ओर से उकाराम उर्फ अखाराम का देहान्त हो जाने पर फौतेदगी नामा0 दर्ज करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र के कम में जॉच रिपोर्ट में दिनांक 26.11.09 को अखाराम का देहान्त हो जाना बताया तथा ग्राम पंचायत पाल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। इसी प्रकार जोधाराम पुत्र अखाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में इन्हीं वादग्रस्त खसरों के सम्बन्ध में अखाराम के नाम दर्ज भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण में अपने नाम दर्ज करने तथा ग्राम पंचायत भंवरानी के द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में विरासत का नामा0 दायर करना उनके स्तर पर सम्भव नहीं होना बताया था। तत्पश्चात ही प्रकरण दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर गई। तहसील कार्यालय में हम रेस्पोडेन्टस की ओर से उक्त वादग्रस्त हमारे पिता अखाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि होना तथा खरीदशुदा भूमि होना बताया तथा विक्रय विलेखों की प्रतियॉ भी उनके समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें ख0सं0 812/10 रकबा 15.00 बीघा भूमि हिमताराम निवासी– नेवरी तहसील पचपदरा से, ख0सं0 812/44 रकबा 14.00 बीघा भूमि भंवरलाल पुत्र रीकाराम निवासी केरू से क्रय की। इसी प्रकार अन्य खसरान की हिस्सा भूमि भी दर्ज थी। तथा अखाराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिये पंजीबद्ध वसीयत के अपनी पत्नी श्रीमती हरकूदेवी पत्नी अखाराम निवासी– प्रेमजी का कुआ, खेमे के कुंए के पीछे, जोधपुर के हक में ,दिनांक 15.3.2013 को निष्पादित कर दी थी जिसकी भी छायाप्रति पेश की गई।

रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त सभी दस्तावेज का निष्पादन अखाराम के द्वारा किया गया है न कि उकाराम के द्वारा। अपीलान्ट ने जो दस्तावेज पेश किये है वह उकाराम के नाम के किये गये न कि अखाराम के नाम के। अपीलान्टस के पास श्री अखाराम के द्वारा निष्पादित किये गये दस्तावेजों की कोई मूल प्रतियॉ नहीं है। उक्त सभी दस्तावेज रेस्पोडेन्टस के पास में उपलब्ध है। प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या एक जोधपुर में प्रार्थीगण की ओर से श्रीमती हरकूदेवी पत्नी अखाराम द्वारा वाद दर्ज करवाया गया जो बाद आपसी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आधारों पर अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट जोधाराम पुत्र अखाराम की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता अखाराम पुत्र छोगाराम के देहान्त 18.1.2016 को हो जाने पर उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम केरू के ख0सं0 812/43, 812/44, 812/10, 812/33, 812/70 व 812/32 में होने तथा उनके नाम दर्ज भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण अपनी माता श्रीमती हरकूदेवी तथा दो भाई केवाराम व पूराराम एवं दो बहने सीमा पुत्री अखाराम व चिन्टू पुत्री अखाराम का नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। इसी दौरान दिनांक 15.1.2021 को एक प्रार्थना पत्र ककूडी पत्नि उकाराम उर्फ अखाराम निवासी–पाल ने पेश कर अखाराम की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने का कथन किया। पटवारी हल्का के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि वादग्रस्त भूमि अखाराम पिता छोगाराम के नाम से अलग–अलग खातों में दर्ज है। प्रार्थीया ककूडी/मनीष की ओर से उकाराम उर्फ अखाराम का देहान्त हो जाने पर फौतेदगी नामा0 दर्ज करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र के क्रम में जॉच रिपोर्ट में दिनांक 26.11.09 को अखाराम का देहान्त हो जाना बताया तथा ग्राम पंचायत पाल की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। इसी प्रकार जोधाराम पुत्र अखाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में इन्हीं वादग्रस्त खसरों के सम्बन्ध में अखाराम के नाम दर्ज भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण में अपने नाम दर्ज करने तथा ग्राम पंचायत भंवरानी के द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में विरासत का नामा0 दायर करना उनके स्तर पर सम्भव नहीं होना बताया था। तत्पश्चात ही प्रकरण दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर गई। तहसील कार्यालय में हम रेस्पोडेन्टस की ओर से उक्त वादग्रस्त हमारे पिता अखाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि होना तथा खरीदशुदा भूमि होना बताया तथा विक्रय विलेखों की प्रतियॉ भी उनके समक्ष प्रस्तुत की। जिसमें ख0सं0 812/10 रकबा 15.00 बीघा भूमि हिमताराम निवासी– नेवरी तहसील पचपदरा से, ख0सं0 812/44 रकबा 14.00 बीघा भूमि भंवरलाल पुत्र रीकाराम निवासी केरू से क्रय की। इसी प्रकार अन्य खसरान की हिस्सा भूमि भी दर्ज थी। तथा अखाराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिये पंजीबद्ध वसीयत के अपनी पत्नी श्रीमती हरकूदेवी पत्नी अखाराम निवासी– प्रेमजी का कुआ, खेमे के कुंए के पीछे, जोधपुर के हक में दिनांक 15.3.2013 को निष्पादित कर दी थी जिसकी भी छायाप्रति पेश की गई।

रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त सभी दस्तावेज का निष्पादन अखाराम के द्वारा किया गया है न कि उकाराम के द्वारा। अपीलान्ट ने जो दस्तावेज पेश किये है वह उकाराम के नाम के किये गये न कि अखाराम के नाम के। अपीलान्टस के पास श्री अखाराम के द्वारा निष्पादित किये गये दस्तावेजों की कोई मूल प्रतियॉ नहीं है। उक्त सभी दस्तावेज रेस्पोडेन्टस के पास में उपलब्ध है। प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश संख्या एक जोधपुर में प्रार्थीगण की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

समझोता व लोक अदालत की भावना से प्रार्थीगण के हक में डिक्री किये गये थे। इसके अतिरिक्त वर्तमान अपीलार्थीया को भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर उनके बयान दर्ज किये गये जिसमें उनके द्वारा उकाराम उर्फ अखाराम पिता छोगाराम का दिनांक 26.11.2009 को देहान्त हो जाने पर उनके नाम एवं उनका जायन्दा पुत्रो के नाम विरासत का नामा0 दर्ज करने का कथन किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्श में अंकित किया कि श्रीमती ककूडी पत्नी उकाराम उर्फ अखाराम ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उक्त भूमि ग्राम केरू में होना, परन्तु सबूत के तौर पर उसके पास कोई सम्बन्धित रेकर्ड/दस्तावेज नहीं है। प्रार्थीगण जोधाराम वगैराह के बयानों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पक्षकारान के मध्य विचाराधीन विभिन्न वादों, आपसी राजीनामा, माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों, प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के आधार पर उक्त भूमि अखाराम पुत्र छोगाराम के द्वारा क्रय की हुई भूमि होना तथा उनके नाम संयुक्त खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित माना। तत्पश्चात प्रार्थीगण जोधाराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उनका विरासत का नामान्तरकरण माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर खातेदार अखाराम पुत्र छोगाराम निवासी–भंवरानी के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधि अनुकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को अस्वीकार किया जावे एवं अपीलधीन आदेश उचित एवं विधि अनुकूल पारित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि श्रीमती ककूडी देवी के समस्त दस्तावेजात में उनके पति का नाम उकाराम ही दर्ज है। जैसे कि राशनकार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैराह में उकाराम नाम दर्ज हो रखा है। जबकि हरकूदेवी के पति का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैराह में अखाराम नाम दर्ज हो रखे है और जमाबन्दी में भी अखाराम पिता छोगाराम दर्ज है। ककूडी पत्नी उकाराम के द्वारा वादग्रस्त खसरा भूमि कृषि भूमि होना बताया है परन्तु सबूत के तौर पर उक्त भूमि से सम्बन्धित कोई पुराना रेकर्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जबकि रेस्पो0 संख्या 2 जोधाराम पुत्र अखाराम इत्यादि के बयानों, सरपंच, ग्राम पंचायत, भवरानी, पक्षकारान के मध्य विचाराधीन विभिन्न वादों व पक्षकारान के मध्य हुए आपसी राजीनामें के आधार पर पारित निर्णयों इत्यादि एवं प्रस्तुत हुए विक्रय विलेख के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अखाराम पुत्र छोगाराम के नाम से उपरोक्त वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो जोधाराम के पिता अखाराम पुत्र छोगाराम की स्वअर्जित पंजीबद्ध क्रयशुदा कृषि भूमि है। इन सभी आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 जोधाराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर खातेदार अखाराम पुत्र छोगाराम के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का निर्णय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के हस्तक्षेप की कोई गुजाइंश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर